



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर.

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/5274.

दिनांक:- 03/01/2023

-:कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 12/2023 वीं बैठक दिनांक 03.01.2023 को उपायुक्त (जोन-6) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या 01.

विषय :- जोन स्तरीय समिति की 11/2023 वीं बैठक दिनांक 14.12.2022 उपायुक्त (जोन-6) के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम बासनी मालियान् के खसरा संख्या 277, 283, 283मीन 285 रकबा 18.01.00 बीघा (सर्वेयर अनुसार 30721.95 वर्गमीटर अर्थात् 19.00 बीघा) भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
02. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
03. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
04. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, चाद, अवाधि, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
05. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे, मौके पर कम होने स्थिति में दोनों साईड से बराबर-बराबर काटी जावे।
06. उक्त ले-आउट प्लान में आवासीय एवम् सुविधा क्षेत्र का अनुपात निम्न तालिका-अनुसार है :-

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	21436.22	69.77
2.	सड़क	9285.73	30.23
	कुल	30721.95	100.00

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 322 रकबा 33.03.00 बीघा में से 22 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
02. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।

वे.म.

ws

Prady

03. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
04. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकान्ना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
05. ले-आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे, मौके पर कम होने स्थिति में दोनों साईड से बराबर-बराबर काटी जावे।
06. उक्त ले-आउट प्लान में आवासीय एवम् सुविधा क्षेत्र का अनुपात निम्न तालिका अनुसार है :-

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	25479.61	69.91
2.	सडक	10971.51	30.09
	कुल	36451.12	100.00

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम पूजलाके खसरा संख्या 335/1, 335/2, 335/2, 336, 336/1, 337 रकबा 68-16 बीघा मे से 62-18 बीघा. (सर्वेयर अनुसार 101784.12 वर्गमीटर) भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
02. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
03. पत्रावली मे संलग्न अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 337 माता का थान नाला एवं सडक निर्माण की सर्वे सूची मे अवाप्ति हेतु विचाराधीन है। पत्रावली के पैरा एन/16 मे निदेशक अभियांत्रिकी की टिप्पणी अनुसार रेल्वे बाउण्ड्री वॉल के बाद 100 फीट सडक हेतु भूमि अवाप्त की गयी है। जिसका अंकन ले-आउट प्लान मे किया जावे।
04. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
05. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
06. ले-आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे, मौके पर कम होने स्थिति में दोनों साईड से बराबर-बराबर काटी जावे।
07. उक्त ले-आउट प्लान में आवासीय एवम् सुविधा क्षेत्र का अनुपात निम्न तालिका अनुसार है :-

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	68545.52	67.34
2.	सडक	33238.60	32.66
	कुल	101784.12	100

तहसीलदार (जोन-6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

सहायक/अधिसाधी अभियन्ता
जोधपुर विकास प्राधिकरण

सहायक नगर नियोजक
जोन-6
जोधपुर विकास प्राधिकरण


उपायुक्त (जोन-6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/ 5275 - 5280

दिनांक:- 03/01/2023

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त उत्तर, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक/अधिशायी अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर




सहायक नगर नियोजक जोन-6
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

जोन स्तरीय समिति की 11/2023 वीं बैठक दिनांक 03/01/2023 को उपायुक्त (जोन-6)की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|----------------|
| 1. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक आयोजना, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | विशेष आमंत्रित |
| 2. श्री श्रवण कुमार विश्णोई, उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | संयोजक |
| 3. श्री संदीप माथुर, अधिशायी अभियन्ता, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | विशेष आमंत्रित |
| 5. श्री प्रतिज्ञा सोनी, तहसीलदार जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्रीमती प्रेम कंवर इन्दा, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |



सहायक नगर नियोजक जोन-6
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर